रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 13, 2014/श्रावण 22, 1936
No. 240] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 2014/SHRAVANA 22, 1936

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2014

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2014

सं. भाराराप्रा/11011/17/2012–एच.आर. I.–भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियम, 1996 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. (1) ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2014 कहलाएंगे।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम संदर्भित किया गया है), की अनुसूची में, सीधी भर्ती के लिए उप प्रबंधक (तकनीकी) के पद के लिए कालम 8 के पैरा 1 (क) में निर्धारित विद्यमान मानदंड :

"भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटीज)/राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटीज) से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक (बी.ई.) अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक (बी.टेक) में अध्ययन कर रहे अभ्यर्थियों में से कैम्पस भर्ती द्वारा"

के स्थान पर एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है :

"उन अभ्यर्थियों में से, जिन्होंने इंजीनियरी में ग्रेजुएट एप्टीटयूट टेस्ट (गेट) की परीक्षा में भाग लिया है, उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर जिसे परीक्षा आयोजित करने वाले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित किया गया है "

सतीश चन्द्रा, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असा./122/14]

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली, अधिसूचना संख्या एनएचएआर–12011/1/95–प्रशा., तारीख 11 मार्च, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 11 मार्च, 1996 में प्रकाशित की गई थी और उसमें गत संशोधन अधिसूचना संख्या 11012/158/2010–मा.सं.–I (खण्ड II), तारीख 21 अगस्त, 2013 द्वारा किया गया था जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III – खण्ड 4, तारीख 26 अगस्त, 2013 में प्रकाशित किया गया था ।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस संशोधन की अधिसूचना से पहले कर ली गई अथवा करने से लोप करा दी गई किसी बात पर इस संशोधन के प्रख्यापन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2014

The National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2014

No. NHAI/11011/17/2012-HR.I.—In exercise of the powers conferred by Section 35, read with Section 9, of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996, namely: -

1. (1) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority & Promotion) Regulations, 1996 (hereinafter referred to as the Principal regulations), the existing criteria prescribed in para-1 (a) of the Col. 8 for the post of Dy. Manager (Tech) for Direct recruitment:

"through campus recruitment from the candidates studying Bachelor of Engineering (BE) or Bachelor of Technology (B.Tech) in Civil Engineering from the Indian Institutes of Technology (IITs) / National Institutes of Technology (NITs)"

is hereby substituted with the following:

"from amongst the candidates, who have appeared in the Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) based on their scores therein duly authenticated by the organizing IIT"

SATISH CHANDRA, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./122/14]

Foot note: The principal regulations were published *vide* notification No.NHAR-12011/1/95-Admn., dated 11th March, 1996, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th March, 1996 and last amended *vide* notification No.11012/158/2010-HR.I(Vol.II), dated 21st August, 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III – Section 4, dated the 26th August, 2013.

Explanatory Memorandum

Anything done or omitted to be done prior to notification of this amendment shall not be affected by promulgation of this amendment.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.